**अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण**

पत्र संख्या-बी-1-जी0पी0एफ0 स्थायी निष्कासन//2024-25// 231 //राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,।
(बजट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 07 अगस्त, 2024

1. **समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,**
   राज्य कर उत्तर प्रदेश ।
2. **आहरण एवं वितरण अधिकारी (प्रशिक्षण संस्थान), राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।**
3. **आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय, ।**

विषयः- **विभाग में कार्यरत अधिकारियों के जी0पी0एफ0 से स्थायी निष्कासन(अन्तिम प्रत्याहरण) के दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में ।**

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य कर विभाग में कार्यरत अधिकारियों के जी0पी0एफ0 से स्थायी निष्कासन स्वीकृति हेतु प्रकरण मुख्यालय प्रेषित किये जाते है, प्राप्त प्रकरणों में कतिपय कमियॉ /अपूर्ण अभिलेख/अपर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के कारण कार्यालय द्वारा अनावश्यक पत्राचार कर कमियों का निराकरण कराया जाता है, जिसके कारण राजकीय समय व श्रम का क्षरण होने के साथ ही साथ अभिदाता के स्थायी निष्कासन में अनावश्यक विलम्ब होता है ।

**उपर्युक्त के दृष्टिगत आपको निर्देश दिये जाते है कि अधिकारियों के स्थायी निष्कासन सम्बन्धी प्रकरणों को स्वस्तर पर निम्न विन्दुओं/कमियों को पूर्ण कर/कराकर ही मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।**

1. अभिदाता द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में दिये कालमों (01 से 09 तक ) को पूर्ण कराकर स्वस्तर पर परीक्षण करते हुए अपनी संस्तुति सहित मुख्यालय को प्रेषित करें ।
2. जी0पी0एफ0 पासबुक की लेखाबंदी व अग्रिम कॉलमों को पूर्ण कर सत्यापन के उपरान्त प्रेषित करें ।
3. अभिदाता को पूर्व में स्वीकृत अग्रिमों की (यथावश्यक प्रविष्टी) जी0पी0एफ0 पासबुक के अंकन में (स्थायी/अस्थायी) **प्रयोजन का स्पष्ट रूप** से उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें ।
4. जी0पी0एफ0 पासबुक में अभिदाता के **निजी विवरण के सभी कॉलम व परिवार का विस्तृत विवरण** पूर्ण कराकर एवं सत्यापन के उपरान्त ही प्रेषित करें ।
5. जिस प्रयोजन हेतु स्थायी निष्कासन किया जा रहा है उस प्रयोजन की पुष्टि हेतु वांछित स्पष्ट साक्ष्य अभिदाता से स्वप्रमाणित कराकर ही प्रेषित करें ।
6. महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी अद्यतन लेखापर्ची की प्रति संलग्न करें ।

क्रमशः पृष्ठ संख्या-2/पर जारी....................

7. **साधारणतयः** जी0पी0एफ0 नियमावली के अन्तर्गत अभिदाता की सेवानिवृत्ति में अवशेष 06 माह रहने पर निष्कासन नही किया जाना है, ऐसे प्रकरणों को मुख्यालय प्रेषित न करें ।

**(महा मिलिन्द लाल)**
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0स0वदिनांकउक्त-

प्रतिलिपि-

1. **आयुक्त, महोदय, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ** के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ ।
3. अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, को सूचनार्थ ।
4. **समस्त जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आप अपने स्तर सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।**
5. अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित ।
6. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित ।

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।